आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर
दिनांक : 23.06.2024
समय : 0705
<><><><><><><><>

- जीएसटी परिषद ने कल नई दिल्ली में फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला किया है।
- अट्टारवीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा।
- केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लागू कर दिया है।
- पहली जुलाई से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से व्यापक अभियान की शुरूआत की गई है।
- भारत की शीर्ष न्यायालय द्वारा उनतीस जुलाई से तीन अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><><>

वस्तु और सेवा कर–जीएसटी परिषद ने स्टील, लोहा और एल्युमिनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान बारह प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में तिरपनवीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में घोषणा की कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही कई सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी मुकदमे कम करने के उद्देश्य से परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए बीस लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है।

<><><><><><><><>

अट्टारवीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोक सभा सदस्यों को शपथ दिलायी जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी

के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब सदस्यों को शपथ दिलायेगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव छब्बीस जून को होगा जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सत्ताईस जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र सत्ताईस जून से शुरू होगा। संसद सत्र तीन जुलाई को संपन्न हो जाएगा।

<><><><><><><>

केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लागू कर दिया है। इसमें दोषियों को अधिकतम दस वर्ष के कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आधिकारिक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान कल से लागू हो गये हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक, दो हजार चौबीस संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे बारह फरवरी को मंजूरी दी थी। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी–एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम तीन से पांच साल की कैद का प्रावधान रखा गया है। साथ ही धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को पांच से दस साल की कैद और न्यूनतम एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।

<><><><><><><>

इस वर्ष की संयुक्त सी एस आई आर–यू जी सी–नेट परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच होनी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी–एनटीए ने कहा कि इसके आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित किया जाएगा। एनटीए ने कहा है कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी एनटीए हेल्प डेस्क को इन फोन नम्बरों पर कॉल कर सकते हैं। फोन नम्बर है – 011– 4 0 7 5 9 0 0 0 और 011–6 9 2 2 7 7 0 0. इसके अलावा एनटीए से **csirnet@nta.ac.in** पर मेल करके लिखित जानकारी भी ले सकते हैं।

<><><><><><><>

पहली जुलाई से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और आपराधिक न्यायिक प्रणाली में इसके असर के बारे में जानकारी देने के लिए

अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से व्यापक अभियान की शुरूआत की गई है। पुलिस कर्मियों के लिए पहले ही गहन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा चुका है। आम जनता में इन नए कानूनों के बारे में जानकारी उत्पन्न करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से नुक्कड़–नाटक और अन्य नवीन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि आम जनता को इसकी जानकारी दी जा सके। दक्षिण अंडमान ज़िले में इस तरह के सात कार्यक्रम चलाए गए। पुलिस का मानना है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।

इस बीच, पुलिस द्वारा इन कानूनों के कियान्वयन के लिए समर्पित सहायता नम्बर नौ पांच तीन एक आठ पांच छः शून्य आठ तीन की शुरूआत की गई है। इसके माध्यम से सभी हितधारकों के साथ सीधे जुड़ा जा सकेगा। नए कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करने या सहायता के लिए सभी हितधारक और आम जनता से दिए गए सहायता नम्बर पर संपर्क करने को कहा गया है।

<><><><><><><>

भारत की शीर्ष न्यायालय द्वारा उनतीस जुलाई से तीन अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन अदालतों में लम्बित पड़े मामलों का समाधान किया जाएगा। द्वीपों के राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने लोक अदालत में मामलों का समाधान कराने के इच्छुक सभी सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, व्यक्तिगत लोगों और याचिकाकर्ताओं से पोर्ट ब्लेयर स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय की विधि सेवा समिति सर्किट बेंच के अलावा नजदीकी ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण या मायाबंदर के उप–संभागीय विधि सेवा समिति से संपर्क कर मामलों का विवरण जमा करने को कहा है।

<><><><><><><>

भारतीय जनता पार्टी जिसे पूर्व में जनसंघ कहा जाता था, के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इकहत्तरवीं पुण्य तिथि पर आज अबरडीन बाजार के वाई नारायण जंक्शन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। दिन में दस बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। आज ही दिन में ग्यारह बजे मिडिल प्वाइंट स्थित पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित कर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा।

<><><><><><><><>

रंगत के प्रशासनिक भवन में ई–कॉर्नर स्थापित किया गया है। मध्योत्तर अंडमान ज़िला उपायुक्त दिलखुश मीणा ने कल इसका उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इसके उद्घाटन से समुदाय को आसानी से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। ज़िले में डिजिटल ढांचे में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। रंगत के सहायक आयुक्त अतुल सोनी ने भी अपने विचार रखे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस नए ई–कॉर्नर में सरकारी सेवाओं के साथ अन्य सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

<><><><><><><><>

डाइट गाराचरमा में दो वर्षीय डी एल एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तीस जून की शाम पांच बजे तक बढ़ा दी गई है। कॉलेज प्रवेश पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की जांच एक से छः जुलाई तक की जाएगी। अस्थाई वरीयता सूची आठ जुलाई को दिन में दस बजे जारी होगी।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा आयोजित वाधवानी फाउंडेशन के वाधवानी सेंटर फॉर गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सहयोग से मध्य–स्तर के अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय पुनर्कौशल कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उन्नीस से इक्कीस जून तक आयोजित प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विज़न, जेनरेटिव एआई और नीति परिवर्तन, कार्यक्रम संवर्द्धन तथा बेहतर सेवा वितरण के लिए डेटा–संचालित अंतर्दृष्टि सहित अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन सत्रों में मुख्य सचिव, विभिन्न सचिवों और विभागाध्यक्षों सहित लगभग दो सौ बीस अधिकारियों ने भाग लिया।

<><><><><><><><>